

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/घाट-2/2018/

दिनांक:-

--:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती) व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	पारसमल जटिया, नर्स प्रथम	राजसमंद	09.07.58	01.02.83	31.07.2018
2.	विद्या देवी जोशी, नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	01.10.58	23.09.89	30.09.2018
3.	रानी ए.ए., नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	14.10.58	14.02.84	31.10.2018
4.	लिसम्मा के.जे, नर्स प्रथम	जे.के.लोन जयपुर	08.02.59	19.10.85	28.02.2019
5.	वलसम्मा के.एस, नर्स प्रथम	1VFसेक्टर जयपुर	05.02.59	22.01.85	28.02.2019
6.	निर्मला कुमारी, नर्स प्रथम	जे.के.लोन जयपुर	25.06.59	19.07.85	30.06.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

sd-

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 10/07/18

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/घाट-2/2018/397

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द/चित्तौड़गढ़।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा।
5. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर